

प्रेषक,
कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3-निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

4-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 10 मई, 2017

विषय- भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अधीन उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा-36 के अन्तर्गत नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्रय क्रिया-कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 को अधिसूचना संख्या-111/नौ-9-2017-170ज/2006 दिनांक 10 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित किया गया है। उक्त नियमावली की एक प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,



(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- सचिव, भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
- 8- निदेशक, सूडा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न अधिसूचना संख्या-111/नौ-9-2017-170 ज/2006 दिनांक 10 मई, 2017 के हिन्दी एवं अंग्रेजी को सरकारी गजट उ0प्र0 असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 10.05.17 की तिथि में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 600 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल/बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।